सेवामें,

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो ... की तामील मे हुए
25/5/17	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार मे अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प.कमठाई मे पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पक्षकारान के लोक अदालत नोटिस शामिल मिसल हो। विप्रार्थीगण बावजुद सुचना के हाजिर नही होने पर उने विरूद्व एकतरफा कार्यावही अमल मे लाई जाती है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया और शामिल मिसिल किया गया। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी	

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र कमठाई)
पीठासीन अधिकारी–श्री नाथुसिंह राठौड़ ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.85 / 2016

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
.हुकमा पुत्र मूला		1.जोगा पुत्र भगा
जाति जाट		2.सका पुत्र पेलाद
निवासी टाकूबेरी (कमठाई)		3.उमेदाराम पुत्र विशनाराम
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।		4.कंवराराम पुत्र विशनाराम
		5.भोमाराम पुत्र विशनाराम
		6.दमाराम पुत्र विशनाराम
		7.लच्छूदेवी पुत्र विशनाराम
		8.हनुमानराम पुत्र मंगलाराम
		9.भैराराम पुत्र मंगलाराम
		10.रामाराम पुत्र मंगलाराम
		11.वीरमाराम पुत्र मंगलाराम
		12.शंकराराम पुत्र मंगलाराम
		13.नेनूदेवी पत्नी मंगलाराम
		14.नैनाराम पुत्र हड़ूमानराम
		15.फरसाराम पुत्र हड़ूमानराम
		16.कंवराराम पुत्र हड़ूमानराम जाति जाट निवासी टाकूबेरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1 श्री डालूराम चौधरी,अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2 विप्रार्थीगण एकरतफा।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

आदेश

दिनांक–25.05.2017

1.संक्षेप मे आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम टाकूबेरी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 211 रकबा 83–17 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा ग्राम टाकूबेरी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 211 रकबा 83–17 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थी के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नही होने पर उनके विरूद एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम टाकूबेरी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 211 रकबा 83–17 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया ज़ाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी के खातेदारी भूमि ग्राम टाकूबेरी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 211 रकबा 83–17 बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात एवं विवादित भूमि की करवाई सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमे पाया कि ग्राम टाकूबेरी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 211 रकबा 83–17 बीधा भूमि का प्रार्थीग रिकार्डेड खातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

संवत 2071 से 2074 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नही हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्राथीगण को प्रार्थी की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति प्रतीत नही होती है।

5. **लिहाजा**,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर **ग्राम टाकूबेरी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 211 रकबा 83—17 बीघा** भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

25/07/17

(नाथूसिंह राठौड)

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 25/07/17 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

25/07/17

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Scanned by CamScanner